

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 28.08.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 354 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी पुत्र फूलचन्द्र निवासी बखिरा ठठरहिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को ब्लॉक मेंहदावल के पास से 354 ग्राम अवैध गांजा के साथ नियमानुसार दिनांक 28.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 330/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त- धर्मेन्द्र गिरी पुत्र फूलचन्द्र निवासी बखिरा ठठरहिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।

बरामदगी- 354 ग्राम अवैध गांजा ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 330/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव , कां0 मिन्टू कुमार गुप्ता ,कां0 दीपक कुमार सिंह ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 205/2025 धारा 64 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सोनू उर्फ अब्दुल सज्जाद पुत्र आशिक अली निवासी सई बड़हरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दुर्गजोत चौराहा के पास से आज दिनांक 28.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 27.08.2025 को थाना बेलहरकला पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, का0 रविन्द्र निषाद, का0 मनीष प्रसाद।

दबिश के दौरान 27 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना*के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 03 वारण्टी नाम पता 01. साधूसरन पुत्र अज्ञात निवासी निखरकपार 02. सतीश गुप्ता पुत्र स्व० दीपचन्द्र गुप्ता निवासी दीनबन्धु मेडिकल स्टोर गायत्री मन्दिर 03. रमजान पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गिरधरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री अरविन्द कुमार यादव, उ०नि० श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे०का० कर्मचन्द्र चौधरी, का० अनिल यादव ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. अजीब उर्फ डेलवा पुत्र मुस्लिम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा 02. समीम पुत्र मारुफ निवासी करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री सचिन्द्रनाथ राय, उ०नि० श्री आजम असांरी, हे०का० दुर्गेश कुमार, का० विनोद यादव, का० भीम कुमार, म०का० आरती सिंह, का० पंकज साहू ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. झीनक उर्फ कृष्णा कुमार पुत्र स्व० श्याम बदन पटवा साकिन बंसवारीगांव थाना धनघटा 02. राममदन साहनी पुत्र रम्पत ग्राम माझा चहोड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जयप्रकाश दूबे, उ०नि० श्री नन्दू गौतम, हे०का० बदरे आलम , हे०का० सोनू पटेल हे०मु० बाबूलाल देवमूर्ति, का० रजनीश यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 07 वारण्टी नाम पता 01. विन्ध्याचल चौधरी पुत्र दयाशंकर चौधरी निवासी बेलडूहा 02. ट्वेन्टी पुत्र ध्रुव कुमार निवासी कालीजगदीशपुर 03. सेतुभान पुत्र भगहू केवट निवासी गौरा रेवटा 04. देवेन्द्र पुत्र हरख निवासी सकरैचा 05. पंचम पुत्र दासू निवासी काली जगदीशपुर 06. बृहस्पति यादव पुत्र चिरामित यादव निवासी पानाराम 07. मुलायम पुत्र विजय बहादुर निवासी इटौवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री ललितकान्त यादव, उ०नि० श्री राकेश कुमार गुप्ता, उ०नि० श्री रामपाल तिवारी, उ०नि० श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, हे०का० अनिल कुमार, का० विकास साहनी ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01. लाले पुत्र मुनेश्वर निवासी मरवटिया थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर, 02. श्रीराम यादव पुत्र सुखदेव निवास पंडितपुरवा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर, 03. गुलाम गौस पुत्र झीनक निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर, 04. गुड्डू पुत्र हीरा केवट थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय वर्मा , उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव , उ0नि0 श्री दशरथ, कां0 मिन्दू गुप्ता , कां0 आशु यादव , का0 संदीप गुप्ता ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 06 वारण्टी नाम पता 01. सूरज सिंह पुत्र आजाद सिंह साकिन सिंहटीकर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर, 02. राजकुमार पुत्र दयाराम साकिन झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर, 03. लवकुश पुत्र दयाराम साकिन झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर, 04. आरती देवी पत्नी पंचम साकिन चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 05. सुनीता देवी पत्नी सन्तराम साकिन ढोढ़या थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 06. रामधनी निषाद पुर रामनरेश साकिन कुकुरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रमेश चन्द, उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 अमित कुमार, कां0 लवकेश यादव, कां0 शैलेन्द्र यादव, कां0 अंगद यादव, कां0 संजीव यादव, म0का0 प्रियंका यादव, हे0का0 अजय कुमार सिंह, कां0 जितेश कुमार ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. अंगद मिश्र उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास निवासी कुशहरा थाना बेलहरकला, 02. हरिराम विश्वकर्मा पुत्र जयकरन विश्वकर्मा निवासी लोहरौली मिश्र थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द, का0 बृजेश सिंह, का0 ओमप्रकाश चौरसिया ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 01. चन्द्रिका वानर पुत्र कोईल निवासी बराईपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, का0 ओमबीर सिंह ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6893 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत निखरापार से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1. नागेन्द्र पुत्र रामसलट सा0 उरूवा थाना उरूवा जनपद गोरखपुर 2. सूरज पुत्र राजेन्द्र सा0 जिगिना थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस व पी0आर0वी0 वाहन की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु एम्बुलेंस 108 व पी0आर0वी0 वाहन की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 अजीत कुमार यादव, आ0 लल्लन पासवान, हो0चा0 पवन मिश्रा ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 249 वाहनों से 3,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 249 वाहनों से 3,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 207/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त हरिद्वार पुत्र चन्द्रबली सोनकर निवासी रिंगौली बाजार थाना कम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनक्क्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में 05 दिवस का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनक्क्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 05 दिवस का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 199/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त केशव हरिजन पुत्र सन्तबली निवासी कुसफर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में 05 दिवस का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्क्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनक्क्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 016/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त राममिलन पुत्र मीठू निवासी गगनईराव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को मारपीट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को *माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) / एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000-2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

एन0सी0आर0 39/2001 धारा-323/504/427 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित 03 अभियुक्तगण 01. महबूब अली पुत्र सफी मोहम्मद 02. इस्तफाक पुत्र महबूब 03. मुस्ताफ पुत्र महबूब निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा उपरोक्त में जुर्म स्वीकारोक्त के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 – 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व 51000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 51000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 166/2015 धारा- 376/504/511/506 भा0द0वि0 व 3(1)(x)3(2) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त मनीष पाल पुत्र आनन्द देवपाल निवासी मैनसिर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को धारा-376/511 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष के कारावास व 50,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा तथा धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के कारावास तथा 1000 रु0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.08.2025 को मा0 न्यायालय-ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 3,000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

मु0अ0सं0 144/2012 धारा 304/34, 323/34, 504 भा0द0वि0 थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सामरथी पुत्र गोली 02. करमा देवी पत्नी सामरथी निवासीगण साहरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 304/34 भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास व 3000-3000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है।

***“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2500 रु0 के अर्धदण्ड से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.08.2025 को मा0 न्यायालय- सी0जे0(एड0डी0)एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्तों न्यायालय उठने तक का कारावास व 2500 रु0 के अर्धदण्ड से किया गया दण्डित**

विवरण:-

मु0अ0सं0 54/2002 धारा 323/325/504/427 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता गेल्हई उर्फ हीरालाल पुत्र मिठू निवासी सरफरा टोला चनगहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा-323 भादवि में 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-325 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-504 भादवि में 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास व धारा-427 भादवि में 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास से भुगतेगा। अर्थात् अभियुक्त गेल्हई उर्फ हीरालाल को न्यायालय उठने तकका कारावास एवं कुल 2500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर छः माह का सादा कारावास भुगतेगा।